



Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
23/01/2015	<p>पनावली पेश दुई वरुवाय उदास्थित। नरस वरुवाय दुनी गई, पनावली वास्तु इतिहास दिनांक 8/10/2015 को पेश की।</p> 	
31/10/2015	<p>पनावली पेश दुई। तहसीलदार पीपाड अखर ले निर्णय दिनांक 10/03/2022 की पालना में मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 07/04/2022 बरवाडा प्रस्ताव मय नजरी नम्बरा पर दोनो पक्षा मे मिली ने भी शहराज या हापली नही पगई, अतः उम्ह प्रकिसि डिडी को इतिहास रूप से स्वीकार किया जाता है, साथ ही वकी सं. 2 सुगनी देवी व. उरिवाडी सं. 4 राजीदेवी को वादप्रस्तुत अमि मा सहायतेदार घोषित किया जाता है, अखर ले प्रस्ताव बरवाडा प्रस्ताव मय नजरी नम्बरा उम्ह डिडी के भाग रहेगें। इतिहास डिडी प्रचल ले वाली अखर सहायत पनावली की।</p> <p>पनावली केवल अमल अखर अखर ले अम हो के दाकिहे अखर हो।</p> 	

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पीपाड शहर (अध्यापक)

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

रामचन्द्रगिरी वगैराह बनाम चौथगिरी वगैराह

दावा बाबत् 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 129/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कच्छावाह मिनजानिव मुदई वकील हिम्मताराम गहलोत, राजेन्द्र देवड़ा मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रियां के खसरा संख्या 503, 852, 943/1, 943 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 07/04/2025 बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय एवं डिकी के भाग रहेगें। वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के बंट में आई हुई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न किसी अन्य कर से करावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में आवश्यक कार्यवाही करे।

लीज.....शून्य.....मुवलिक.....शून्य.....बाबत.....शून्य.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को आदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/10/2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा...पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.....			मीजान.....		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।